आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
अधिग्रहण वाद सं0 27/2012
सरकार (मार्फत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)
बनाम
सुरेन्द्र भारती, ज.वि.प्र.वि. एवं अन्य
आदेश

9.12.14

यह अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 12/मु0 दिनांक 25.8.12 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।

इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 19.8.12 को गुप्त सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मांझी के द्वारा जैतपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विकेता सुरेन्द्र भारती के आवासीय मकान के सामने खड़ी ट्रक सं0 एच.आर. 56–5514 पर 130 बोरा चावल एवं उनके घर से 578 बोरा खाद्यान्न बरामद किया गया, जिसमें 32 बोरा चावल एवं दो बोरा गेहूँ एफ.सी.आई. मोहरयुक्त बोरा पाया गया तथा शेष बोरा बदला हुआ पाया गया, जो कालाबारी के नियत से भंडारित किया गया था। इस संबंध में मांझी थाना में प्राथमिकी सं0 123/12 दिनांक 20.8.12 धारा 7ई.सी. के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा जप्त खाद्यान्न एवं वाहन की अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में इस न्यायालय के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके प्रसंग में वाहन मालिक के द्वारा आवेदन दिया गया।

आज दिनांक 9.12.14 को सुनवाई की गयी। विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उन्हें राष्ट्रीय परमिट प्राप्त है। साथ ही उनके पास सभी वैध कागजात हैं। उन्हें जप्त खाद्यान्न से कोई मतलब नहीं है। उनके ट्रक को सुरेन्द्र भारती के द्वारा सामान को दिल्ली भेजने के लिए चालक राकेश यादव के द्वारा बात की गयी थी। ट्रक के चालक को यह मालूम नहीं था कि वे खाद्यान्न कैसे हैं। जप्त ट्रक व्यवसायिक है एवं इसके काफी समय से जप्त रहने की वजह से वाहन मालिक को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जप्त वाहन पुलिस थाना के परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है। अनुरोध है कि इसे सशर्त्त विमुक्त करने की कृपा की जाए।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक वाहन भाड़े पर दिए जाते हैं। ज्यादा समय तक जप्त रहने से वाहन बर्बाद होने की संभावना है। अतः जप्त वाहन को सशर्त्त विमुक्त करने का आदेश निर्गत

किया जा सकता है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलानोपरान्त स्पष्ट है कि जप्त ट्रक सं0 एच.आर 56–5514 एक व्यवसायिक वाहन है। अधिक समय तक जप्त रहने से इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः निम्न शर्त्तों के अधीन विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:

1. वाहन स्वामी 20.00 (बीस लाख) रूपये का बंध पत्र तथा इसी राशि के समतुल्य दो स्वतंत्र प्रतिभूतियॉ (Surety) समर्पित करेंगे।
2. वाद के निष्पादन तक वाहन का हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार की छेड़–छाड़ की जाएगी।
3. न्यायालय के आदेश पर वाहन को 24 घंटे के भीतर उपस्थापित करने की जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, सारण, छपरा को निर्देश है कि वाहन मालिक से उक्त कागजात प्राप्त होने के पश्चात् उनके मूल प्रति से मिलान करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात् अपने स्तर से वाहन विमुक्ति आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख 12.2.15 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 21/न्या० दिनांक 10.1.15

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – थानाध्यक्ष, मांझी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को इस जिले के website पर upload करने के लिए प्रेषित।

10/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

10/1/15